

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-249/86)/अलेसे-II/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री मघाराम नाई, लेखाकार (मेरिट नं 249/86) कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.), जयपुर का दिनांक 08.08.2012 से 01.09.2012 तक कुल 25 दिवस का रूपांतरित अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 02.09.2012 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग करने की अनुमति भी प्रदान की जाती हैं। उक्त अवकाश का श्री नाई की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से प्रविष्टि अंकित करावें।

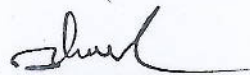


निदेशक

क्रमांक:- एफ 3 (ख) (एम-249/86)/अलेसे-II/6908-10 दिनांक :- 02.09.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री मघाराम नाई, लेखाकार को उक्त स्वीकृति अवकाश के साथ-साथ आपके कार्यालय में दिनांक 21.09.2012 को उपस्थिति देने की दिनांक से दिनांक 30.09.2012 तक की अवधि के बकाया वेतन के आहरित करने की भी स्वीकृति जारी की जाती हैं।
2. उपकोषाधिकारी, सरदार शहर, चूरु को दिनांक 14.09.2012 से 20.09.2012 तक अतिरिक्त कार्य कारण विलम्ब से कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
3. श्री मघाराम नाई, लेखाकार, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.), जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उक्त अवकाश की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अंकित करावें।
4. निजी पत्रावली/पदस्थापन/रक्षित पत्रावली।



(के0 एम0 मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- i)